


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27.3.23	<p> आज यह पता चला है कि ड्राइवर वरुणा का पञ्जाब पुलिस अधिनियम 1967 के अन्तर्गत प्रो. 212 RTA का कानून का उल्लंघन करने से दण्डनीय है। अतः जहाँ दण्डनीय है वहाँ ही दण्डनीय है। प्रो. 212 RTA का कानून का उल्लंघन नहीं है अतः प्रो. 212 RTA का कानून का उल्लंघन किया जाता है तथा ड्राइवर वरुणा के दिनांक 29.9.21 को जारी की गई 'अवैध' लिसेंस भी इसी तरह का उल्लंघन किया जाता है पञ्जाब पुलिस अधिनियम 1967 के अन्तर्गत ही सजा सुनाई गई है। </p> <p style="text-align: right;">  हेमराज सिंघ जज (अधीनस्थ) </p>